बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 30 / 2022-580

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आजमगढ़।   पटना 14, दिनांक– 26/05/2025

विषय – छपरा जिलान्तर्गत गाजीपुर–बलिया–यूपी / बिहार सीमा (मांझीघाट तक) ग्रीनफील्ड खंड के किमी 0.00 से किमी 115.200 तक एवं बक्सर स्पर (कुल लंबाई 17.800 किमी) चार लेन पथ निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.66 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/149739/2021/350 दिनांक 31.05.2024 एवं पत्रांक FP/BR/ROAD/149739/2021/350 दिनांक 22.05.2025 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/ROAD/149739/2021/350 दिनांक 31.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा, पूर्व में निर्गत Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्त्त संख्या 4 एवं 6 को संशोधित किया गया है साथ ही शर्त्त संख्या 2, 3, एवं 5 को हटाते हुए संशोधित पत्र निर्गत किया गया है।

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 5.66 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/ROAD/149739/2021/350 दिनांक 31.05.2024 एवं दिनांक 22.05.2025) अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या 4 एवं 6 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 1,71,12,239 / – (रूपये एक करोड़ एकहतर लाख बारह हजार दौ सौ उनचालीस) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 424/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या 9 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 5.66 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 54,21,034/– (रूपये चौवन लाख एक्कीस हजार चौतीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 2,25,33,273/– (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार दौ सौ तैहतर) मात्र को मंत्रालय द्वारा विकसित, परिवेश पोर्टल से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जाय।**

5. उक्त जमा की गयी राशि से संबंधित UTR No. एवं अन्य विवरणी को **परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाय,** साथ ही जमा की गयी राशि का UTR No एवं दिनांक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।